चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 07.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 07.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). भारत सरकार,गृह मंत्रालय,महानिदेशालय अग्निशमन सेवा,नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक, नई दिल्ली के मिसिल संख्या –VIII-11012/02/2022-डी0जी0सी0डी0 (सी0डी0) दिनाँक 05.05.2025 के अनुक्रम में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुपालन में आज दिनाँक 07.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी श्री उमेश चन्द्र निगम एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में चित्रकूट इण्टर कॉलेज के मैदान में मॉकड्रिल/अभ्यास आयोजित कराया गया।
पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने बताया कि यह मॉकड्रिल सिविल प्रशासन,पुलिस प्रशासन,अग्निशमन सेवा,होमगार्ड विभाग,पीआरडी विभाग,शिक्षा विभाग,स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य नागरिक संगठन तथा सेना के रिटायर्ड अधिकारी/कर्मचारीगण के साथ साथ विभिन्न कॉलेजों/स्कूलों से आये शिक्षक,शिक्षार्थी व उनके अभिभावक की उपस्थिति में मॉकड्रिल का अभ्यास कर जन जन को जागरूक करना है ।
इस मॉकड्रिल का प्रमुख उद्देश्य यह है कि 1. हवाई हमले के खतरों से कैसे सावधान रहें व बचाव करें। 2.यह आपदा की तैयारी और सुरक्षा उपायों के बारे में लोगों को प्रोत्साहित और संवेदनशील बनाना है। 3.यह सुनिश्चित करना है कि लोग आपातकालीन स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया दें। 4. आपातकालीन उपकरणों के संचालन और उसके रखरखाव की जांच करना । 5. सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन योजनाओं की समीक्षा करना । 6.आग लगने की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर कैसे पहुँचा व ले जाया जाये इसका अभ्यास है।
इस मॉकड्रिल के दौरान बांदा चित्रकूट ड्रिस्टिक कोआपरेटिव बैंक के चेयर मैन श्री पंकज अग्रवाल, उप जिलाधिकारी सदर सुश्री पूजा साहू,क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री अरविन्द कुमार वर्मा,क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान श्री अजेय कुमार शर्मा,क्षेत्राधिकारी फहद अली,जिला विद्यालय निरीक्षक श्री संतोष कुमार मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह,चित्रकूट इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य श्री रणवीर सिंह सहित शिक्षकगण एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहें।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनूप कुमार शुक्ला व उनकी टीम ने दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
उल्लेखनीय है कि दिनाँक 04.05.2025 को वादी रामसवारे पुत्र पप्पू निवासी हरिदास का पुरवा नौबस्ता उमरावाँ थाना महेवाघाट जनपद कौशाम्बी द्वारा सूचना दिया गया कि मेरी बहन सुगना देवी को पति रामनाथ,जेठ तिलक बाबू व जेठानी सुमन देवी पत्नि तिलक बाबू द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करना दहेज की मांग पुरी न होने पर हत्या कर देना । इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 112/2025 धारा 80(2),85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया। उ0नि0 श्री अनूप कुमार शुक्ला द्वारा आज दिनाँक 07.05.2025 को आरोपी अभियुक्त रामनाथ पुत्र स्व0 श्यामलाल निवासी ग्राम काशीनाथ का पुरवा मजरा बियावल थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री अनूप कुमार शुक्ला थाना मऊ

2.आरक्षी बृजेन्द्र राय

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मानिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश द्वितीय श्री नीरज श्रीवास्तव द्वारा आज दिनाँक 07.05.2025 को थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 17/2016 धारा 148,149,323,308,504 भादवि0 व 14 डी.ए.ए एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1.छोटू उर्फ छोटुवा पुत्र स्व0 चन्द्रपाल निवासी निही चिरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 2.चौधरी उर्फ रजोला पुत्र शिवमंगल निवासी नौबस्ता थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 06-06 वर्ष का कठोर कारावास व 13-13 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का विवरण:-</u>

दिनाँक 11.11.2016 को वादी लोल्ला यादव पुत्र श्री बूलन निवासी ग्राम डोडामाफी थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दिया गया कि तीन अज्ञात अभियुक्तगणों द्वारा वादी के पुत्र राजाबाबू को खलिहान में सोते समय मारपीट कर चोट पहुचाकर बेहोश करना तथा गाली गलौज करना । इस पर थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 17/2016 धारा 148,149,323,308,504 भादवि0 व 14 डी.ए.ए. एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्री केशव वर्मा द्वारा सम्पादित की गयी तथा आरोपी अभियुक्त छोटू उर्फ छोटुवा व चौधरी उर्फ रजोला उपरोक्त को गिरफ्तार करते हुए दिनाँक 29.09.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री विनोद कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में अपराध निरीक्षक श्री अभयराज सिंह व उनकी टीम ने मु0अ0सं0 84/2025 धारा 69/351(2) बीएनएस के आरोपी अभियुक्त धीरेन्द्र उर्फ गोलू पटेल पुत्र शिवशंकर उर्फ मंजू को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>-

1.निरीक्षक अभयराज सिंह थाना रैपुरा

2.आरक्षी बब्बूराजा